



षोडश बिहार विधान सभा द्वितीय सत्र ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.03.2016 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- | | |
|---|---|
| <p>1. मोहम्मद नवाज आलम,
सं०वि०स०</p> <p>श्री सुदामा प्रसाद,
सं०वि०स०</p> <p>श्री राम विशुन सिंह,
सं०वि०स०</p> <p>श्री शमीम अहमद,
सं०वि०स०</p> <p>श्री राम्भु नाथ यादव,
सं०वि०स०</p> | <p>“सोन नहर प्रणाली से राज्य के आठ जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें नहरों को पानी सोन नदी द्वारा दिया जाता है। सोन नदी के सूख जाने के फलस्वरूप नहर में पानी आना बन्द हो गया है। सोन नहर के पानी का वितरण करने के समय राज्य हित में करचन जलाशय का निर्माण का विकल्प राज्य को मिला था जो अब तक नहीं किया गया है। फलस्वरूप हजारों एकड़ रबी की फसल सिंचाई के अभाव में सूख गये हैं।</p> <p>अतः जनहित में नहरों में पानी देने की व्यवस्था को लिए करचन जलाशय का निर्माण करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”</p> |
|---|---|

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

2. श्री रामदेव राय,
स०वि०स०

“बिहार राज्य में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 30 (तीस) लाख क्विंटल था, जिसमें लगभग 25 प्रतिशत ही धान अधिप्राप्ति हुआ है, जिससे किसान विद्युत्‌लिप्टी को हाथों धान बेचने पर मजबूर हैं। इतना ही नहीं पैक्स के माध्यम से भी किसानों का दोहन हो रहा है। मुख्य सचिव के पत्रांक-9071, दिनांक-04.12.2015 के द्वारा पैक्स को 90% एवं एस०एफ०सी० को 10% धान लेने को निर्देश था जिसका अनुपालन नहीं हुआ है।

खाद्य एवं
उपभोक्ता
संरक्षण

अतः दिनांक 31.03.2016 तक लक्ष्य के अनुरूप धान की अधिप्राप्ति कर किसानों को राहत देने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।”

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

जाप संख्या-घा०प्र०-04/16-

345

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 01 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / उप मुख्यमंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / अंतरापूर्वक के आप्त सचिव / कार्याकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / सरकारी कार्य विभाग / जल संसाधन विभाग तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,


बिहार विधान सभा, पटना।

जाप संख्या-घा०प्र०-04/16-

345

/ वि०स०, पटना, दिनांक- 01 मार्च, 2016 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रशाखा पर्याधिकारी, सचिवालय को
क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनाार्थ प्रेषित।



(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

